(967)

अनुमोदित

# उत्तराखण्ड
# लोक निर्माण विभाग

उत्तराखण्ड शासन

## जनपद – चमोली

| | |
|---|---|
| वृत्त का नामः– | 7 वां वृत्त,लो0नि0वि0, गोपेश्वर। |
| खण्ड का नाम :– | प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर |
| कार्य का नाम :– | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से ग्राम मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण का संरेखण प्रस्ताव। |
| लम्बाई :– | 1.50 कि॰मी॰ |

## तुलनात्मक विवरण

| क्र.सं. | मद का नाम | समरेखंण (1) लाल रंग में | समरेखंण (2) हरा रंग में |
|---|---|---|---|
| 1. | मुख्य विशेषताऐं एवं विवरण | यह सरेंखण गडोरा–किरुली मोटर मार्ग के किमी. 4 से प्रारम्भ होकर मेहरगांव तक जायेगा। | समरेखण नं. 1 के अनुसार |
| 2. | प्रस्तावित दृष्टिकोण से समरेंखण की लम्बाई | 1.50 किमी. | 1.50 किमी. |
| 3. | वर्तमान यातायात के साधन | पैदल मार्ग | पैदल मार्ग |
| 4. | भूमि<br>(अ) सिविल/वन भूमि<br>(ब) कृषि योग्य भूमि<br>11. सिंचित<br>12. असिंचित | 1.00 किमी.<br><br>शून्य<br>शून्य | 1.00 किमी.<br><br>शून्य<br>शून्य |
| 5. | सूर्य प्रकाशित भूभाग | सम्पूर्ण लम्बाई में | सम्पूर्ण लम्बाई में |
| 6. | भूस्खलन | शून्य | शून्य |
| 7. | भूमि | मिटटी, पत्थर, आदि | अत्यधिक भूस्खलन वाला क्षेत्र |
| 8. | वनस्पति | पैड़ पौधे | पैड़ पौधे |
| 9. | मार्ग का ढाल | 1:20 R level 1:20 F | 1:17 R, 1:20 R Level, 1:20 F level |
| 10. | अनुप्रस्थ ढाल–1. सामान्य ढाल<br>2. तीव्र ढाल | 20 से 40 तक<br>30 से 60 तक | 30 से 50 तक<br>50 से 70 तक |
| 11. | भू–भाग 1. कठोर चट्टान<br>2. कोमल चट्टान | 0.500 किमी.<br>1.00 किमी. | 0.500 किमी.<br>1.00 किमी. |
| 12. | अस्थिर/भूस्खलन भूमि की लम्बाई | शून्य | शून्य |
| 13. | साधन 1. लकड़ी<br>2. पत्थर<br>3. मजदूर | स्थानीय उपलब्धता<br>स्थानीय उपलब्धता<br>स्थानीय उपलब्धता | स्थानीय उपलब्धता<br>स्थानीय उपलब्धता<br>स्थानीय उपलब्धता |
| 14. | पानी का निकास<br>(अ) छोटे पुल संख्या व विस्तार<br>(अ) बडे पुल संख्या व विस्तार | <br>शून्य<br>शून्य | <br>शून्य<br>शून्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | वर्षा एवं जलवायु की दशा | मार्ग सर्व ऋतु योग्य रहेगा। ठंडी जलवायु | समरेखण नं॰ 1 अनुसार |
| 16. | लाभांवित्त ग्रामों की संख्या<br>(अ) प्रत्यक्ष रुप से<br>(ब) अप्रत्यक्ष रुप से | मेहरगांव – 181 | –<br>समरेखण नं॰ 1 अनुसार |
| 17. | वर्तमान मार्ग से प्रस्तावित मार्ग का सम्बन्ध | यह सरेंखण गडोरा–किरुली मोटर मार्ग के किमी॰ 4 से प्रारम्भ होकर मेहरगांव तक 1.50 किमी॰ नव निर्माण करने हेतु गठित किया गया है। जिसमें ग्राम मेहरगांव ग्राम प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप सें मोटर मार्ग से जुड जायेगा। | समरेखण नं॰ 1 अनुसार |
| 18. | सामरिक महत्व | – | – |
| 19 | हेयर पिन बैण्ड | 4 नं॰ | 5 नं॰ |
| 20 | कृषि एवं फल की दृष्टि से महत्व | क्षेत्र की मुख्य पैदावार जैसे दालें, गेहूं आदि का ढुलान स्थानीय बाजार में आसानी से पहुँचने के कारण बाजार की सुविधा मिलेगी। | समरेखण नं॰ 1 अनुसार |
| 21. | वन सम्पदा का उपयोग | जड़ी बूटी जैसे झूला एवं अन्य वन सम्पदा का संरक्षण हो सकेगा। | समरेखण नं॰ 1 अनुसार |
| 22. | खनिज सम्पदाओं का उपयोग। | खनिज सम्पदाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी तथा खनिज का निर्यात होने से क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। | समरेखण नं॰ 1 अनुसार |
| 23. | लाभ | 1. इस समरेखण में मात्र 4 एच॰पी॰ बैण्ड पड़ते हैं।<br>2. यह समरेखण लगभग 0.750 किमी॰ सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है।<br>3. ग्राम वासियों के मकानों को कोई क्षति नहीं होगी।<br>4. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी हैं।<br>5. इस सरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत हैं।<br>6. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी होगा।<br>7. उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से अनुसूचित जाति ग्राम मेहरगांव को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। | 1. इस समरेखण में मात्र 4 एच॰पी॰ बैण्ड पड़ते हैं।<br>2. यह समरेखण लगभग प्रथम 1.00 किमी॰ सीढ़ीनुमा खेतों में गुजरता है।<br>3. ग्राम वासियों के मकानों को क्षति होने की सम्भावना होगी।<br>4. तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयोगी नहीं हैं।<br>5. इस सरेखण से ग्रामवासी भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं।<br>6. इस संरेखण पर मार्ग का निर्माण मितव्ययी नहीं होगा।<br>7. उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से मेहरगांव को आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | हानि | 1. इस समरखेण में 4 एच॰पी॰ बैण्ड होने के कारण स्थानीय कास्तकारों की कृषि मात्र 0.750 किमी॰ लंबाई अधिग्रहित की जायेगी।<br>2. कृषि योग्य भूमि कम अधिग्रहित करने से कास्तकारों को कम हानि होगी।<br>3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान कम करना पडेगा। | 1. इस समरखेण में 5 एच॰पी॰ बैण्ड होने के कारण स्थानीय कास्तकारों की कृषि अधिग्रहित की जायेगी।<br>2. कृषि योग्य भूमि अधिक अधिग्रहित करने से कास्तकारों को अधिक हानि होगी।<br>3. क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा का भुगतान अधिक करना पडेगा। |

J.E.

सहायक अभियन्ता
प्रा॰ ख॰ लो॰ नि॰ वि॰,
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰
गोपेश्वर (चमोली)

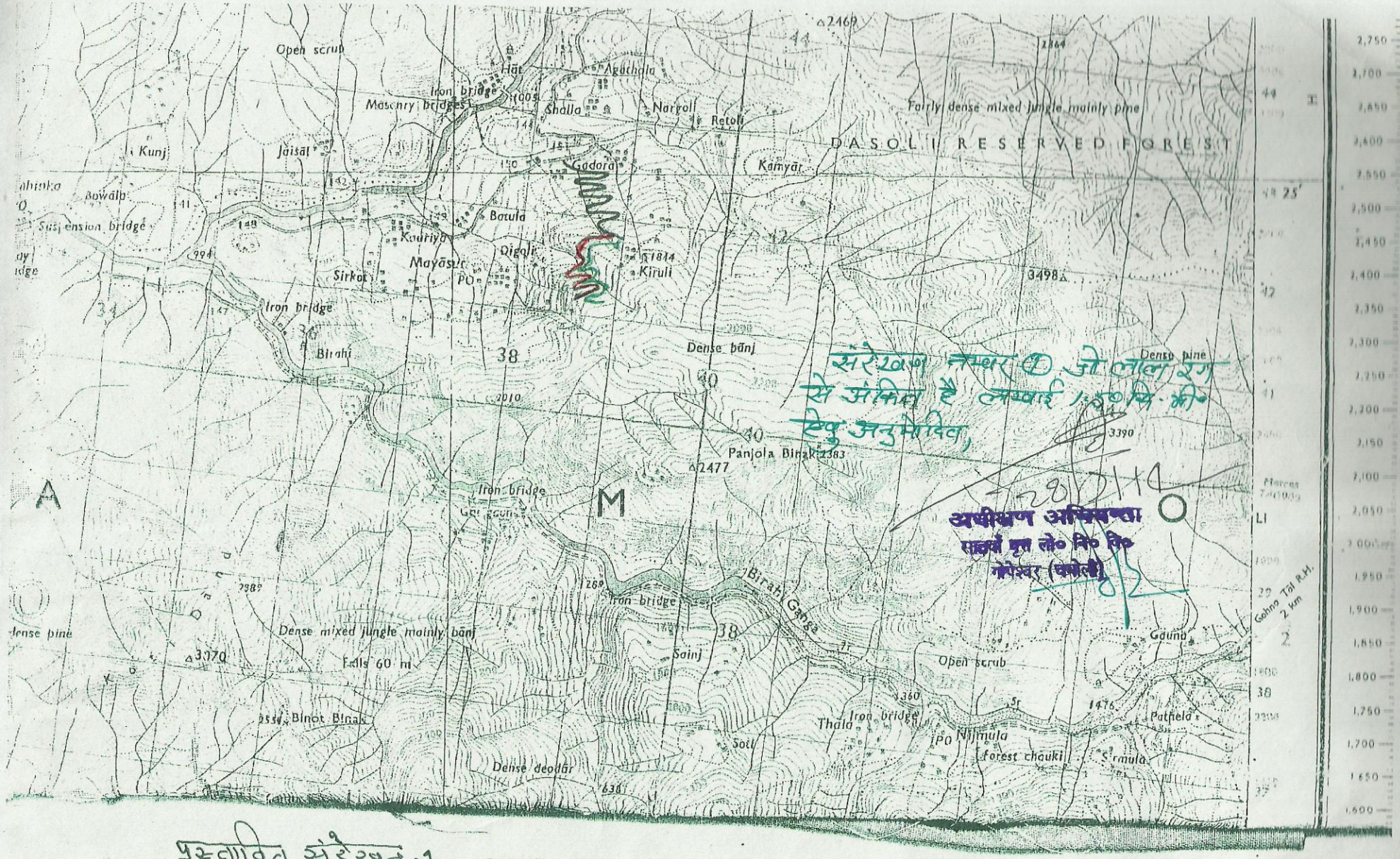

प्रस्तावित संरेखन 01

संरेखन संख्या - 02

J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण ... लो०नि०वि०
गोपेश्वर (चमोली)